न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 03/2018 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या– 2018/00019

उनवान

1. अजीराम
2. रमेशचन्द
3. सुरेशचन्द

पुत्रान श्रीराम सभी जातियान धाकड, नि0 ग्राम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

4. मुरारी पुत्र श्यामलाल जाति धाकड निवासी गॉव दहगॉव तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हरदेई वेवा ताराचन्द
2. राजू
3. दीनदयाल
4. बन्टू
5. मुकेश

पुत्रान ताराचन्द

6. कमल सिंह
7. रामप्रसाद
8. सुन्दरलाल

पुत्रान गंगाराम

सभी जाति धाकड निवासी ग्राम वीरमपुरा तह0 बयाना जिला भरतपुर।

9. ऊर्मिला पुत्री गंगाराम पत्नी बनी जाति धाकड, निवासी सडक नीचे नगला धाकडान तहसील सदर आगरा जिला आगरा(उ0प्र0)

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 29.11.2017 उनवानी रामपति बनाम रेशम मु0न0 213/2006

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नारायण सिंह उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महेन्द्र भूषण शर्मा उपस्थित।

भू-प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

निर्णय दिनांक :– 04.03.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलाण्ट की ओर से प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुये अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, वादी रामपति के फौत होने के कारण जरिये "एवेट" खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट्स की माता रामपति के फौत हो जाने के उपरान्त, अपीलाण्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 जा0दी0 के तहत पेश कर दिया गया था, बाकी अन्य फरीकेन पत्रावली पर पहले से ही मौजूद थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामान देरी से प्रस्तुत करने के कारण दावा वादीगण/अपीलाण्ट एवेट में खारिज फरमा दिया। जबकि अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कंडोन कराने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट्स का दावा नियमित वाद की श्रेणी में आता है एवं पत्रावली पर मौजूद बाकी वादीगण/अपीलाण्ट के होते हुये दावा एवेट नहीं हो सकता था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध जाकर अपीलाण्ट्स के हकूक काश्तकारी अधिकारो को प्रभावित करते हुये गलत व अवैध रूप से दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व अवैध आदेश पारित करने की वजह से रैस्पो0 मौके के विपरीत कब्जा करने की फिराक में हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को खारिज फरमाते हुये, पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी में तर्क प्रस्तुत किये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट्स ने रामपति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

फौत होने की सूचना निर्धारित समय में न्यायालय में नहीं दी गयी जबकि रामपति के पुत्र वादीगण/अपीलाण्ट्स वाद में पूर्व से ही पक्षकार थे। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है अपीलाण्ट्स ने जो प्रार्थना पत्र 22 नियम 03 जा0दी0 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें रामपति के निधन की दिनांक भी अंकित नहीं की गयी। इस प्रकार उक्त प्रार्थना अपने आप में अपूर्ण रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही सभी पहलुओ पर विचार करते हुये, अपीलाधीन आदेशा पारित किया है, जो विधि अनुरूप सही है। अपीलाण्ट्स ने अपनी स्वंय की माता के फौत होने के पश्चात् लगभग 16 माह बाद, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे यह साबित होता है कि अपीलाण्ट्स/वादीगण अपने दावे के संचालन में घोर लापरवाह रहे हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 03 सी0पी0सी0 दिनांक 09.10.2014 को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि प्रकरण में वादिनी रामपति पत्नि श्री राम की मृत्यु हो गयी है एवं उसके कायम मुकामान पूर्व से ही पत्रावली पर मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण खारिज करते हुये, वादीगण/अपीलाण्ट का दावा अपीलाधीन आदेश से जरिये "एवेट" खारिज कर दिया। हम पाते हैं कि प्रकरण में वादिनी रामपति की मृत्यु दिनांक 06.06.2013 को हुई। प्रकरण में मृतक वादिनी रामपति के अतिरिक्त उनके कायम मुकामान अपीलाण्ट/वादीगण भी पत्रावली पर मौजूद थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 03 सीपीसी को खारिज करते हुये, पूरा दावा "एवेट" किया गया है, जबकि मृतक वादिनी रामपति के हित तक "एवेट" किया जाकर, अपीलाण्ट को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट द्वारा अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु वाद दायर किया था। अतः अपीलाण्ट को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए हैं, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट, आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2017 मृतक वादिनी रामपति के हित तक स्वीकार एवं अपीलाण्ट/वादीगण के हित तक निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प-बयाना

प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2021 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.03.2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्यवाहक भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर